ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट नं0 1, सेक्टर के0पी0–4,
ग्रेटर नौएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0

पत्रांक– सम्पत्ति / ओटीएस / 2021 / 450 दिनांक– 13 अक्तूबर, 2021

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की 122वीं बोर्ड बैठक के अनुपूरक मद संख्या 122 / 4 में वित्तीय वर्ष 2016–17 तक प्राधिकरण द्वारा आबंटित आवासीय भूखण्ड व बिल्टअप भवनों की योजना में प्रीमियम डिफाल्टर, अतिरिक्त प्रतिकर एवं अपंजीकृत लीज डीड में आरोपित लीज डीड विलम्ब शुल्क के सापेक्ष दिनांक 30.09.2021 तक छूट प्रदान किये जाने का अनुमोदन मा0 संचालक मण्डल द्वारा प्रदान किया गया था ।

आबंटियों द्वारा कोविड–19 के आधार पर उक्त अवधि को बढ़ाये जाने की मांग के दृष्टिगत प्राधिकरण की 123वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या "अन्य विषय– 123 / 02" में लिये गये निर्णय के क्रम में पूर्व निर्धारित ओ0टी0एस0 योजना की नियम व शर्तों के आधार पर ओ0टी0एस0 योजना दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 15.11.2021 तक बढ़ाई जाती है ।

12.10.21

(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि –

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए)
3. विशेष कार्याधिकारी(एस0के0)
4. महाप्रबन्धक– वित्त / परियोजना / नियोजन
5. प्रभारी –सिस्टम को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु ।
6. समस्त सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
7. गार्ड फाइल ।

Signed by
Khan Basi
Manager
13/10/21 15:57:18

उप महाप्रबन्धक / प्रबन्धक – सम्पत्ति